प्रेस विज्ञप्ति

29/04/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने मेसर्स जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29/04/2025 को **64.36 करोड़** रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां नीलांबर ट्रेक्सिम एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बेस्टार कंक्रीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (दोनों जेवीएल समूह की कागजी संस्थाएं), ग्रैंड बाजार डेवलपर्स एलएलपी, सोनम झुनझुनवाला, सुप्रीम टेक्नोफैब्स प्राइवेट लिमिटेड, कोमल केडिया और रामा शंकर खेमका के नाम पर पंजीकृत हैं और कोलकाता, पुरबा मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल), कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (बिहार), दादर व नगर हवेली और दिल्ली में स्थित हैं तथा इसमें विनोद फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत एफडीआर के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर और सीबीआई, लखनऊ द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने प्रमोटर सत्य नारायण झुनझुनवाला और सहयोगियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत लाभ के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची। कंपनी ने अनिल खेमका द्वारा नियंत्रित कोलकाता स्थित कागजी संस्थाओं के माध्यम से 80 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण और कार्यशील पूंजी को विपथित व गबन किया। विपथित की गई कार्यशील पूंजी अनिल खेमका की कागजी संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई थी। इस निधि को आगे जेवीएल समूह की कंपनियों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और सहयोगियों को अंतरित कर दिया गया। विपथित निधि का इस्तेमाल अंततः जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों को हासिल करने के लिए किया गया। निधि को विपथित और इसका दुरुपयोग करके, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधन और सहयोगियों ने कंपनी का लगभग 49.06% स्वामित्व बनाया। जैसे ही कंपनी घाटे में जाने लगी, प्रबंधन ने **लाभ और हानि खातों, स्टॉक इन्वेंटरी, शेयर स्टॉक आदि** में हेरफेर करना जारी रखा । इस जालसाजी ने जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फुलाए हुए ऋण प्रतिबंधों को बनाए रखने और लेनदारों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उच्च आहरण शक्ति स्थापित करने की अनुमति दी। इन हेरफेर किए गए वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर, वित्तीय लेनदारों ने जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बड़े ऋण मंजूर किए। इन ऋणों को विभिन्न रूपों में वापस ले लिया गया, जो अंततः एनपीए

(गैर-निष्पादित संपत्ति) में बदल गए। धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण बैंकों के संघ को लगभग रु.1992 करोड़ का नुकसान हुआ। झुनझुनवाला ने रणनीतिक रूप से कंपनी के फंड को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विपथित किया, जिसमें उनकी खुद की कागजी संस्थाएं और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में कंपनियां/फर्म शामिल थीं। जब जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इन विपथित संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने **मेसर्स महालक्ष्मी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और मेसर्स रत्न प्रिया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट** की स्थापना की और इन संस्थाओं को शामिल करते हुए सर्किट लेन-देन किए और शेयरहोल्डिंग का एक जटिल नेटवर्क बनाया। फिर उन्होंने इन ट्रस्टों के नाम पर कागजी संस्थाओं के शेयरों को स्थानांतरित करने की योजनाबद्ध व्यवस्था की। इन कार्रवाइयों का प्राथमिक लक्ष्य डायवर्ट किए गए फंड और परिसंपत्तियों को जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कुर्की या कानूनी कार्यवाही से बचाना था।

इससे पूर्व 31.07.2024 को इस मामले में 814.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं। इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल राशि **878.67 करोड़ रुपये** हो गई है।

आगे की जांच जारी है।